न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी–नथमल डिडेल आई.ए.एस.

अपील संख्याः–01/2021 भरण पोषण अधिनियम

1. बलराम गोदारा पुत्र श्री भींयाराम जाति जाट निवासी मकान नं. एच. 12, न्यू सिविल लाईन, हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. संतोष गोदारा पत्नी श्री बलराम गोदारा जाति जाट निवासी मकान नं. एच. 12, न्यू सिविल लाईन, हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलान्ट

बनाम

1. विजयपाल सिंह गोदारा पुत्र श्री बलराम गोदारा जाति जाट निवासी गुरूग्राम हाल आबाद मकान नं. एच 12 न्यू सिविल लाईन, हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. चन्द्रकला पत्नी श्री विजयपाल सिंह गोदारा जाति जाट निवासी गुरूग्राम हाल आबाद मकान नं. एच 12, न्यू सिविल लाईन, हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय आदेश दिनांक 13.01.2021 न्यायालय भरण पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ बअनवानी बलराम गोदारा आदि बनाम विजयपाल सिंह आदि, प्रकरण संख्या 02/2020 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के सम्बन्ध में।

निर्णय दिनांकः–23.09.2021

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट ने रेस्पोडेंटस के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय भरण पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 बअनवानी बलराम आदि बनाम विजयपाल सिंह आदि प्रस्तुत कर कथन किये कि प्रार्थी संख्या–1 कृषि विभाग में कृषि अधिकारी के पद से सन 2014 से सेवानिवृत हुआ है। प्रार्थी संख्या –1 ने कृषि विभाग में अपने सेवाकाल में रहते हुए भूखण्ड संख्या एच 12 वाके न्यू सिविल लाईन, हनुमानगढ़ जंक्शन खरीद कर रिहायशी मकान निर्मित करवाया। उक्त भूखण्ड प्रार्थी संख्या–1 ने अपनी स्वःअर्जित आय से बनाये है। प्रार्थीगण के दो पुत्र व एक पुत्री है जो शादीशुदा है। अप्रार्थी संख्या–1 विजयपाल सिंह गोदारा गुड़गांव में प्राईवेट नौकरी करता है व अप्रार्थी संख्या–2 वर्तमान में सहायक कृषि अधिकारी के पद पर डबलीराठान में नियुक्त है। अप्रार्थीगण गुड़गांव से हनुमानगढ़ आकर प्रथम तल पर निर्मित दो कमरों व रसोई पर जबरन कब्जा कर लिया है तथा प्रार्थीगण को धमकी देते है कि उक्त मकान पर उन्होंने कब्जा कर लिया है तथा अब वे प्रार्थीगण को यहां रहने नहीं देंगे। यदि प्रार्थीगण इस मकान को अप्रार्थीगण के नाम नहीं करवायेंगे तो प्रार्थीगण को जान से मार देंगे। अप्रार्थीगण येन केन प्रकारेण प्रार्थीगण के भूखण्ड संख्या एच–12 वाके न्यू

Web Copy - Not Official

सिविल लाईन, हनुमानगढ़ जंक्शन को हड़प करना चाहते है। अत भूखण्ड संख्या एच–12 साईज 39 गुणा 69 फुट वाकै न्यू सिविल लाईन हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़ जिसके उत्तर में गली आम, दक्षिण में भूखण्ड एच–2, पूर्व में भूखण्ड संख्या एच–13 व पश्चिम में भूखण्ड संख्या एच–11 स्थित है, से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जावे तथा अप्रार्थीगण को आदेश फरमाया जावे कि वे प्रार्थीगण के स्वामित्वशुदा उक्त भूखण्ड में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे।

अपीलान्ट के उपरोक्त प्रार्थना–पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 02/2020 पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात् अप्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया व अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किये कि उक्त भूखण्ड पुश्तैनी है जिसका 1999 में बंटवारे के समय प्रार्थीगण को भाई व अप्रार्थीगण के चाचा रूपराम ने उक्त भूखण्ड की रजिस्ट्री प्रार्थी बलराम के नाम करवाई गई थी जिसमें अप्रार्थी की माता प्रार्थी संख्या–2 गवाह बनी थी। प्रार्थीगण कृषि विभाग से सेवानिवृत पेंशनधारी कर्मचारी हैं तथा प्रार्थीगण के पास 10 बीघा कृषि भूमि भैरूसरी में तथा प्रार्थीगण द्वारा अपने ससुराल पक्ष से ढ़ढेला व कीकराली में 7 बीघा व मिर्जावाली मेर में 3–4 बीघा कृषि भूमि लड़ाई झगड़ा कर प्राप्त कर ली। जबकि अप्रार्थी संख्या–1 प्राईवेट नौकरी कर 35 लाख रूपये वार्षिक आय अर्जित कर रहा है एवं अप्रार्थी संख्या–2 कृषि अधिकारी लगभग 40–50 हजार प्रतिमाह वेतन प्राप्त कर रही है। प्रार्थीगण ने अपने पुत्र वेदपाल के बहकावे में आकर तमाम सम्पत्तियां अप्रार्थीगण की आय से खरीदी है। प्रार्थीगण द्वारा पुनः दिनांक 10.07.2020 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध मिथ्या एफआईआर दर्ज करवाई है तथा झूठे मुकदमा करवा रहा है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विरूद्ध रेस्पोडेन्टस अपना निर्णय दिनांक 13.01.2021 को पारित करते हुए खारिज फरमाया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.01.2021 से अपीलांट विपरीत रूप से प्रभावित है तथा आक्षेपित निर्णय को निम्नलिखित आधारों पर अपास्त करने हेतु निवेदन करते है। आक्षेपित निर्णय कतई गलत विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय में धारा–4 भरण पोषण अधिनियिम 2007 की विवेचना करते हुए न्यायालय को सिर्फ भरण–पोषण का क्षेत्राधिकार होने तथा सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रकरण होने के कारण उक्त प्रकरण अपने क्षेत्राधिकार का न होने की विवेचना पारित की है जो कतई गलत व विधि विरूद्ध है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 में संशोधन किया गया जिसके अनुसार सीनियर अन्य व्यक्ति को बेदखल करने की अधिकारिता भी अधीनस्थ न्यायालय को थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु को नजरअंदाज कर आक्षेपित निर्णय पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है।

अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम 2007 की मन्शा वृद्ध व्यक्तियों को सुरक्षित करना है। अपीलांट के अपने प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट अभिवचन थे कि अपीलांट वृद्ध व्यक्ति है तथा रेसपोडेंट द्वारा अपीलांट को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस सम्बंध में कोई विवेचना आक्षेपित निर्णय में पारित नहीं की तथा उक्त महत्वपूर्ण बिन्दु को नजरअंदाज कर आक्षेपित निर्णय पारित किया है।

अपीलांट ने उक्त प्रकरण दिनांक 09.06.2020 को प्रस्तुत किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र तथा दस्तावेजों का कोई परिशीलन नहीं किया व न ही इस सम्बन्ध में आक्षेपित निर्णय में कोई विवेचना की। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत डीएनजे–2018 (4) राजस्थान पेज 1526 व सिविल कोर्ट कैसेज 2016 (3) पंजाव एण्ड हरियाणा पेज 666, सिविल कोर्ट कैसेज 2016 (4) पेज 336, सिविल कोर्ट कैसेज 2016 (1) पेज 842 व सिविल कोर्ट कैसेट 2016 सप्लीमेंन्टरी पेज 129 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इन न्यायिक दृष्टातों का आपेक्षित निर्णय में उल्लेख नहीं किया व इन न्यायिक दृष्टांतो को नजरअंदाज कर आक्षेपित निर्णय पारित किया है।

अपीलांट वृद्ध व्यक्ति है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट कथन किये कि अपीलांट वृद्ध व्यक्ति है तथा अपीलांट संख्या–2 को डॉक्टर ने टमाटर, लहसुन, पत्ता गोभी, काला

नमक आदि नहीं खाने की सलाह दी हुई है। अपीलांट संख्या–2 उच्च रक्तचाप, कोलस्ट्रोल, यूरिक एसिड के रोग से ग्रसित है तथा उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र मे यह भी कथन किये कि रेस्पोडेंट ने अपीलांट को मारने के उद्देश्य से एक बार गैस चुल्हे के वार्नर को चालू कर खुला छोड़ दिया था। इसके अलावा रेस्पोडेंट संख्या–2 ने अपीलांट संख्या–2 की ओर एक गर्म तव्वा भी फेंका था इस सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय में कोई विवेचना नहीं की।

रेस्पोडेंट अपीलांट पर झूठे मुकदमें करवाकर अपीलांट को मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वयं बार बार उपस्थित होकर निवेदन भी किया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इन समस्त तथ्यों को ताक पर रखते हुए आक्षेपित निर्णय पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 13.01.2021 को अपास्त फरमाया जावे तथा भूखण्ड संख्या एच–12 साईज 39 गुणा 69 फुट वाकै न्यू सिविल लाईन हनुमानगढ़ जंक्शन में स्थित है, से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जावें तथा अप्रार्थीगण को आदेश फरमाया जावे कि वे प्रार्थीगण के स्वामित्वशुदा उक्त भूखण्ड में किसी प्रकार प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस ने सम्मन की प्रति लेने से इन्कार किया व न्यायालय में उपस्थित भी नहीं हुए। अतः रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अपीलान्ट व न्यायामित्र उपस्थित जिनको अपील के कथनों पर सुना गया। अपीलान्ट न्यायमित्र ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपीलान्ट के पक्ष में Citation:2018(4) DNJ (Raj.) 1526 Hon'rable Rajasthan High Court Deepak Kumar Versus Smt. Phoolwanti Devi & Ors. (S.B. Civil Writ Petition No. 1615 of 2016; decided on 04.07.2018), 2016(3) Civil Court Cases 666 (P&H) PUNJAB & HARYANA HIGH COURT C.W.P.No.3354 of 2016 (O&M), D/29.03.2016. Kulbhushan Monga & Anr. Vs Tribunal Under Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen through its Presiding Officer & Anr. , 2016(Suppl.) Civil Court Cases 129 (P&H) PUNJAB & HARYANA HIGH COURT C.W.P.No.18009 of 2015 (O&M), D/25.01.2016. Hamina Kang Vs District Magistrate (U.T.), Chandigarh & ors., प्रस्तुत की गई। अपीलाण्ट/न्यायामित्र द्वारा प्रस्तुत CITATION का स सम्मान अध्ययन किया गया। प्रस्तुत CITATION अपील में पूर्णतया चस्पा होती है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.01.2021 अपास्त किया जाता है। अपीलाण्ट के भूखण्ड संख्या एच 12 साईज 39 गुण 69 फुट वाकै न्यू सिविल लाईन हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़ जिसके उत्तर में गली आम, दक्षिण में भूखण्ड संख्या एच–12, पूर्व में भूखण्ड संख्या एच–13 व पश्चिम में भूखण्ड संख्या एच–11 स्थित है, से रेस्पोडेन्टस को बेदखल किये जाने और उसमें कोई दखलन्दाजी नहीं करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति के साथ अभिलेख उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ को पालनार्थ लौटाया जावे। निर्णय की प्रति पक्षकारों को सूचनार्थ तथा समाज कल्याण अधिकारी, हनुमानगढ़ को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष–अपीलीय अधिकरण
हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण
हनुमानगढ़